

कूटरचित दस्तावेज तैयार कर जाल साजी करने वाले पति पत्नी गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 64/21 धारा 420/467/468/471/120 (B) भा0द0वि0 अन्तर्गत 02 अभियुक्तगण नाम पता 1- फूलचन्द पुत्र हीरालाल 2- मीठा देवी पत्नी फूलचन्द निवासीगण मोहनलालपुर मोहल्ला आजादनगर थाना को0 खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया ।

विदित हो कि अभियुक्तगण उपरोक्त, श्रीमती कुमारीदेवी पत्नी खदेरु निवासिनी मोहनलालपुर मगहर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर के मकान में बतौर किरायेदार वर्ष 1998 से रह रहे थे, उक्त मकान को 2015 में मकान मालिक द्वारा नशिबुन्निशा निवासिनी मोहनलालपुर मगहर को विक्रय कर दिया गया, जिसके उपरान्त वादिनी श्रीमती नशिबुन्निशा द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को मकान खाली करने हेतु बताया गया तो अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा 03 माह का समय मांगा गया, इसी दौरान अभियुक्तगण द्वारा अन्य व्यक्तियों के सहयोग से जालसाजी व कूटरचना से फर्जी दस्तावेज तैयार करके मकान कब्जा करने करने की कोशिश की जाने लगी । जिसके उपरान्त वादिनी द्वारा दिनांक 19.01.2021 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था जिसमें आज दिनांक 16.02.2021 को उक्त अभियुक्तगणों को गिरफ्तार करते हुए माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री दयानाथ राम, का0 सूरज गौड़, म0का0 अदिती ।

अवैध चाकू के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

थाना दुधारा पुलिस द्वारा एक अदद नाजायज चाकू के साथ एक अभियुक्त नाम पता वसीउल्लाह पुत्र मो0 नजीर निवासी कर्माखान थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना दुधारा पर मु0अ0सं0 42/21 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम – हे0का0 मोतीलाल यादव, हे0का0 बृजेश पाण्डेय ।

22 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 02 अभियुक्ता गिरफ्तार

थाना दुधारा पुलिस द्वारा 12 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 01 अभियुक्ता नाम पता जानकी देवी पत्नी शम्भूराम निवासी असरफपुर केवटहिया थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को 12ली0 अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर थाना दुधारा पर मु0अ0सं0 41 / 2021 धारा 60 (1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- हे0का0 रामदरश यादव, हे0का0 श्रीकान्त यादव, म0का0 मेघना चौधरी ।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 01 अभियुक्ता नाम पता कुमारी कुसुम देवी पत्नी स्व0 रामकिशुन निवासी चपरापूर्वी थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को 10 ली0 अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर थाना धनघटा पर मु0अ0सं0 68 / 2021 धारा 60 (1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री अरुण कुमार पाण्डेय, का0 अनूप कुमार, म0का0 विद्या सिंह ।

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा 02 वारण्टी गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा दबिश के दौरान 02 वारण्टी नाम पता 1- चन्द्रजीत पुत्र रोहित 2- रोहित पुत्र करीमन निवासीगण गोरयाभार थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- प्रभारी चौकी तामेश्वरनाथ उ0नि0 श्री सतेन्द्र यादव, हे0का0 भोला यादव ।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 11 अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना को0 खलीलाबाद पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना धनघटा पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना महुली पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 07 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1489 द्वारा मारपीट / विवाद में घायल 02 व्यक्तियों को पहुँचाया गया अस्पताल – पीआरवी 1489 को थाना महुली क्षेत्रांतर्गत हरदी से इवेन्ट संख्या 01741 से कालर ने किसी बात को लेकर दो पक्षों में मारपीट / विवाद होने से दो व्यक्तियों के घायल होने के संबन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर 05 मिनट में पहुंचकर मारपीट में घायल हुए व्यक्तियों को इलाज हेतु जरिये एम्बुलेंस सी0एच0सी0 नाथनगर भेजवाया गया तथा प्रतिवादी को विधिक कार्यवाही हेतु थाना महुली के सुपुर्द किया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर मारपीट में घायल हुए व्यक्तियों को अस्पताल भेजवाकर उनकी जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई ।

पीआरवी स्टाफ – मु0आरक्षी दिनेश प्रसाद, आ0 शैलेन्द्र यादव, हो0चा0 भाम कुमार ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 85 वाहनो से 63300 रू0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 16.02.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 85 वाहनो से 63300 रू0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।